



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 06.08.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 462/25 धारा
126(2)/131/115(2)/351/352/ 109(1)/118(1) बी.एन.एस. में वांछित 02
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक

27.07.2025 को
थाना बड़ौत पर
वादी श्री रवि तोमर
पुत्र उधम सिंह
निवासी पट्टी देशू
बाबली थाना
बड़ौत जनपद
बागपत ने लिखित



तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अजय उर्फ गोली पुत्र सत्यवीर, 2. सन्नी उर्फ पेडा पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम बाबली पट्टी गोपी थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा उसकी मोटरसाईकिल रोककर उसको पूर्व के मुकदमे में गवाही न देने को लेकर धमकाया व हमला कर मारपीट की तथा गाली-गलौच करते हुए भाग गये । इस सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 462/25 धारा 126(2)/131/115(2)/352/351 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 109(1)/118(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 462/25 धारा 126(2)/131/115(2)/351/352/109(1)/118(1) बी.एन.एस. में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- 1-अजय उर्फ गोली पुत्र सतवीर निवासी ग्राम बाबली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-सन्नी उर्फ पेडा पुत्र अनिल निवासी ग्राम बाबली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ गोली पुत्र सतवीर का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 1196/17 धारा 364 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 336/18 धारा 307/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 912/18 धारा 307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4.मु0अ0सं0 916/18 धारा 414 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5.मु0अ0सं0 1172/18 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6.मु0अ0सं0 1392/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 7.मु0अ0सं0 1078/18 धारा 307/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 8.मु0अ0सं0 1102/19 धारा 147/148/149/307/323 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
9. मु0अ0सं0 1106/19 धारा 307/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत।

10.मु0अ0सं0 1112/19 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत।

11.मु0अ0सं0 1152/19 धारा 147/148/149/323/341/302 भादवि थाना सदर जनपद करनाल हरियाणा।

गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उर्फ पेडा पुत्र अनिल का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 922/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 952/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 964/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

4.मु0अ0सं0 965/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

5.मु0अ0सं0 967/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

6.मु0अ0सं0 968/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

7.मु0अ0सं0 973/16 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

8.मु0अ0सं0 912/18 धारा 307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

9.मु0अ0सं0 916/18 धारा 414 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

10.मु0अ0सं0 913/18 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत।

11.मु0अ0सं0 808/19 धारा 504/506/307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

12.मु0अ0सं0 1153/19 धारा 148/149/323/341/302 भादवि थाना सदर जनपद करनाल हरियाणा।

13.मु0अ0सं0 155/22 थाना छपरौली जनपद बागपत।

14.मु0अ0सं0 676/23 धारा 307/323/34/504/506 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-का0 32 अंकुर शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 06.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 491/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त बिल्लू पुत्र नबाब सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा उसके भाई संजीव के ऊपर जान



से मारने की नीयत से गोली चलाई गयी, जो कि उसके भाई संजीव की जांघ में लगी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 491/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 491/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिल्लू पुत्र नबाब सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 554 सतेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 06-08-2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 चोर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक भैंसा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 06-08-2025 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम खट्वाप्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके घर से अभियुक्त नाजिम पुत्र गुलजार निवासी



ग्राम सलावतपुर केडा थाना खेकडा जनपद बागपत ने भैंसा चोरी कर लिया था, वादी व जनता के लोगों द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ लिया गया । थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त नाजिम पुत्र गुलजार निवासी ग्राम सलावतपुर केडा थाना खेकडा बागपत को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक भैंसा बरामद हुआ है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

नाजिम पुत्र गुलजार निवासी ग्राम सलावतपुर केडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ भैंसा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 33 रईस आलम ।

2-हो0गा542 राज कुमार ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 06.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/25 धारा
333/352/109/351(3) बी.एन.एस. व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.07.2025 को
थाना रमाला पर वादिया
ने लिखित तहरीर दी कि
अभियुक्तों 1.अंकित उर्फ
मोहनवीर पुत्र नेकीराम,
2.कार्तिक पुत्र देवेन्द्र
उर्फ काला, 3.अभय उर्फ
माटू पुत्र नामालूम
निवासीगण ग्राम बुढपुर



थाना रमाला जनपद बागपत व अन्य अज्ञात द्वारा उसके घर में घुसकर उसके
साथ गाली-गलौच की गयी व जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया,
जिससे वह बाल-बाल बची तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 198/25 धारा 333/352/109/351(3) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

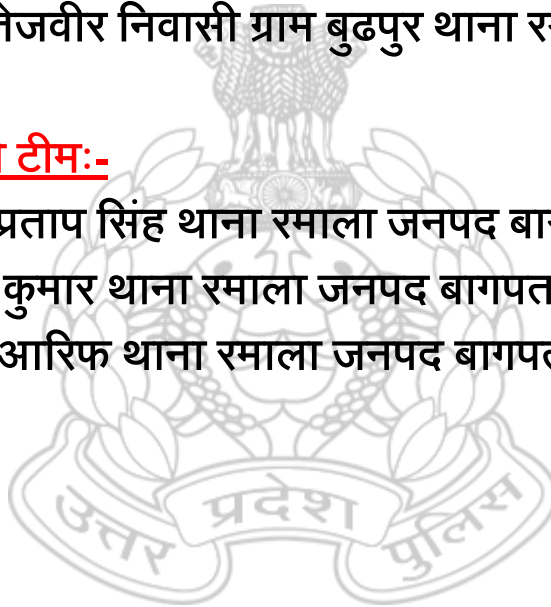
बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 198/25 धारा 333/352/109/351(3) बी.एन.एस. व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लवि उर्फ लक्ष्य पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ०नि० श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 263 मौ० आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 06.08.2025

बागपत पुलिस ने 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नवाव पुत्र ईशहाक निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. सिकन्दर पुत्र उमेश निवासी नई बस्ती गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. उस्मान पुत्र रफीक निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।
4. रहीस पुत्र नफीस मल्लाह निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत।
5. मंजीत ढाका पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर बागपत।
6. 01 महिला ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2- थाना बड़ौत पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 3-थाना चांदीनगर पुलिस (01 वारंटी)
- 3-महिला थाना पुलिस (01 वारंटी)

